उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-106/2019/3386/30-3-19-75जीई/2017
लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2019

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान-वेतन बैण्ड-3, रू० 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रू० 5400) को नियमित चयनोपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान-वेतन बैण्ड-3, रू० 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रू० 6600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	चयन वर्ष
1	2	3	4
1	209	अखिलेश कुमार द्विवेदी	2016-17
2	211	सुनील दत्त	2016-17
3	212	श्वेता वर्मा	2016-17
4	215	सुरेश कुमार	2016-17
5	216	अम्ब्रीश कुमार	2016-17
6	220	राघवेन्द्र सिंह	2016-17
7	221	राजेश प्रताप सिंह	2016-17
8	222	सियाराम वर्मा	2016-17
9	226	लालाराम	2016-17
10	227	बिनय कुमार सिंह	2017-18
11	230	अजीत कुमार श्रीवास्तव	2017-18
12	231	राजेश कुमार श्रीवास्तव	2017-18
13	232ए	आनन्द निर्मल	2018-19
14	233	उदय राम	2018-19
15	234	मो० कय्यूम	2018-19
16	235	सुरेश चन्द्र यादव	2019-20

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त अधिकारीगण अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर यथावत कार्य करते रहेंगे।

ह०/-
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या-106/2019/3386(1)/तीस-3-2019,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
(2) परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ०प्र० लखनऊ।
(5) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
(6) समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त उ०प्र०)।
(7) संबंधित अधिकारी।
(8) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ०प्र० के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(9) कार्मिक अनुभाग-1।
(10)गार्ड फाईल

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।